राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान,उत्तराखंड
State Institute of Educational Management and Training,Uttarakhand
ननूरखेड़ा, देहरादून
Phone: : 0135–2780304, फैक्स: 0135–2780304
E-mail:uksiemat@gmail.com

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवामें

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक / सीमैट /1679/शो.मू./प्रशिक्षण–3(एक) / 2020–21 दि0 14 अगस्त, 2020

विषय–डिजिटल शिक्षा हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन्स तथा निदेशालय अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण के निर्देशो का प्रेषण।

महोदय,

कोविड–19 के संक्रमण के फलस्वरूप परम्परागत कक्षा–कक्ष शिक्षण की प्रकिया के वाधित होने के फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में आनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे है। इस संबंध में विभिन्न प्लेटफार्म पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के साथ–2 एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा स्वयंप्रभा चैनल संख्या 31 के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के विषयों का नियमित शिक्षण किया जा रहा है । निदेशालय,अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण के द्वारा भी एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा विकसित वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर के द्वारा शिक्षण हेतु निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये है। विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के द्वारा कक्षा 9 से 12 तक मुख्य विषयों का शिक्षण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षकों के द्वारा भी विभिन्न माध्यमों के द्वारा आपने विद्यालयों में आनलाइन शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा **प्रज्ञाता** नाम से संदर्शिका विकसित की गई है। जिसमें डिजिटल संसाधन युक्त छात्र–छात्राओं तथा डिजिटल संसाधन विहीन छात्र–छात्राओं की डिजिटल शिक्षा हेतु उपाय सुझाए गए है। संदर्शिका का हिन्दी रूपान्तरण सीमैट,उत्तराखण्ड के द्वारा किया गया है।

उक्त संदर्शिका के साथ निदेशालय अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण के राज्य में डिजिटल शिक्षा के कियान्वयन हेतु निर्देश तथा मॉडल पाठयोजनाए इस आशय के साथ प्रेषित है कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर अविलम्ब दिनांक 20 अगस्त 2020 तक सूचना निदेशालय अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण को प्रेषित करने का कष्ट। साथ ही आपसे यह भी अपेक्षा है कि प्रज्ञाता संदर्शिका तथा इसके साथ संलग्न निर्देश तथा आदर्श पाठ योजनाओं को अपने विकास खण्ड/जनपद के शिक्षकों को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि सभी शिक्षक मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के आनलाइन

Scanned with CamScanner

शिक्षा के दिशा निर्देशों से विज्ञ हो सकें। कृपया अपने विकासखण्ड/जनपद की सूचना प्रज्ञाता संदर्शिका के साथ प्रेषित निदेशालय अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण के राज्य में डिजिटल शिक्षा के कियान्वयन हेतु निर्देश में तैयार प्रारूप में ही प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,
14/8/2020
(सीमा जौनसारी)
निदेशक
अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक/ सीमैट / 1679 /शो.एवं मू./प्रशिक्षण–3 (एक)/2020–21 दि0 14 अगस्त, 2020
प्रतिलिपि–

1.महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2.निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3.अपर निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,गढचाल एवं कुमांयू मण्डल,उत्तराखण्ड।
4.समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

14/8/2020
निदेशक
अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड,देहरादून।

Scanned with CamScanner